फाइल सं. ए-24015/01/2018/एनएमएल/प्रशा.

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय
(प्रशासानिक अनुभाग)

अंसारी नगर, रिंग रोड
नई दिल्ली, दिनांक 06, , 2018

परिपत्र

विषय- राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय) में संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को बतौर परामर्शदाता (ईआरएमईडी का कंसोर्टियम) कार्य पर रखना।

राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय, अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी से संविदा के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए बतौर परामर्शदाता (ईआरएमईडी कंसोर्टियम) नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। परामर्शदाताओं को राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय, नई दिल्ली में तैनात किया जाएगा। परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए विस्तृत नियम एवं शर्तें संलग्न है। पात्रता शर्तें और अन्य विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	पद का नाम व संख्या	अर्हताएं/अनुभव, आयु सीमा और पारिश्रमिक	काम का विवरण
1.	परामर्शदाता (ईआरएमईडी कंसोर्टियम) पद की संख्या- 01	अनिवार्य: केन्द्रीय/राज्य सरकार के मंत्रालय/विभाग में सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त तथा निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखने वाले व्यक्ति: अर्हताएं: 1. एम.ए./एम.एससी./एम.कॉम., और 2. एम.एल.आई.एस. अनुभव: 1. पुस्तकालय नेटवर्किंग का ज्ञान, 2. कंसोर्टियम, देखरेख का अनुभव 3. निविदा संबंधी कार्यविधि का ज्ञान आयु: आवेदन जमा करने की तारीख़ को 65 वर्ष से कम। मासिक पारिश्रमिक: परामर्शदाता को फॉर्मूला के अनुसार उसके अंतिम आहरित वेतन में से पेंशन घटा कर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा जो आयकर इत्यादि के कारण अनिवार्य कटौती के अध्याधीन होगा।	1. एनएमएल-ईआरएमईडी कंसोर्टियम का प्रबंधन करना तथा कंसोर्टियम हेतु सब्सक्राइब की गई ई-पत्रिका के इष्टतम उपयोग हेतु कंसोर्टियम के सभी 90 सदस्य संस्थानों (एनएमएस सहित) के साथ समन्वय बनाना। 2. ईआरएमईडी सदस्य संस्थानों द्वारा ई-पत्रिका के इष्टतम इस्तेमाल की निगरानी करना तथा इष्टतम इस्तेमाल न करने वाले संस्थानों के अनुस्मारक भेजना। 3. कंसोर्टियम के सदस्य संस्थानों के अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा इष्टतम इस्तेमाल हेतु ईआरएमईडी कंसोर्टियम के लिए सब्सक्राइब ई-पत्रिकाओं के लेख पढ़ने/डाउनलोड करने को सुसाध्य बनाने के लिए क्षेत्रीय उपयोगकर्ता प्रशिक्षण एवं जागरुकता कार्यक्रम के आयोजन में कंसोर्टियम सदस्य संस्थानों, संबंधित विक्रेताओं तथा प्रकाशकों के साथ समन्वय करना। 4. कैलेंडर वर्ष 2019 हेतु ईआरएमईडी कंसोर्टियम के लिए निविदा प्रक्रिया आरंभ करना।

के.पी.सिंह

2. इच्छुक व्यक्ति, जो अनिवार्य अर्हताएं और अनुभव, अच्छा स्वास्थ्य रखतें हों और जो तुरंत कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में हों, वे संबंधित दस्तावेजों के साथ संलग्न प्रपत्र में अपना विवरण निदेशक, राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय, अंसारी नगर, रिंग रोड, नई दिल्ली को इस विज्ञापन के तीस दिनों के भीतर जमा कर दें। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

3. परामर्शदाता के रुप में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार के मंत्रालय/विभाग से सेवानिवृत सहायक पुस्तकालय तथा सूचना अधिकारी अपना आवेदन दे सकते हैं।

4. मंत्रालय/विभाग अपने कर्मियों के बीच इस परिपत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे और अपने संबद्ध कार्यालयों के ध्यान में भी लाएंगे।

के.पी. सिंह

निदेशक (एनएमएल)
दूरभाष- 26589085, 26589370

सेवा में,

भारत सरकार के समस्त मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि:

1. आईटी प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को इस परिपत्र को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की वेबसाइट (www.dghs.gov.in) पर अपलोड करने हेतु।
2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रधान निजी सचिव/स्वास्थ्य सेवा विशेष महानिदेशक के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/उप महानिदेशक (एम) के प्रधान निजी सचिव।

अनुलग्नक-I

राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु नियम व शर्तें

1. परामर्शदाता अपने नियंत्रक अधिकारी द्वारा दिए गए कार्य का निष्पादन करेगा/करेगी ।

2. काम का सामान्य समय सोमवार से शुक्रवार तक प्रात: 9.30 से सायं 6.00 बजे तक होगी जिसमें अपराह्न 1.00 से अपराह्न 1.30 बजे तक 30 मिनट का भोजनावकाश होगा । परामर्शदाता अपनी हाज़िरी, आधार समर्थकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति सिस्टम में लगाएगा/लगाएगी ।

3. विशेष परिस्थितियों में परामर्शदाता को अवकाश के दिन या काम के सामान्य समय के बाद भी उनकी सेवाओं के लिए बुलाया जा सकता है ।

4. परामर्श कार्य का आरंभ परामर्शदाता द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिन से एक वर्ष की अवधि तक होगी ।

5. परामर्शदाता को परिश्रामिक का भुगतान फॉर्मूला के अनुसार उसके अंतिम आहरित वेतन में से पेंशन घटाकर देय होगा जो अनिवार्य कटौतियों के अध्याधीन होगा । महीने के दौरान दी गई सेवाओं का पारिश्रमिक अगले माह में देय होगा ।

6. राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय को किसी भी समय परामर्शदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की जांच/ पुनर्विलोकन करने का अधिकार होगा ।

7. परामर्शदाता सभी आवश्यक कौशल, परिश्रम, दक्षता तथा मितव्ययता के साथ अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा/करेगी ।

8. परामर्शदाता के रुप में उसे राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय द्वारा कोई चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी ।

9. यात्रा सहित कार्य निष्पादन के दौरान या उसके क्रम में या उसके कारण उसको हुई नुकसान, दुर्घटना, क्षति/चोट के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय उत्तरदायी नहीं होगा ।

10. परामर्श की अवधि के दौरान वह किसी निजी व्यवसाय या पेशेवर गतिविधियों का भागीदार नहीं होगा जो सरकार के हित में न हो ।

11. परामर्शदाता, सभी आधिकारिक सूचनाओं की गोपनीयता बरकरार रखेगा तथा उनका इस्तेमाल केवल सेवाओं के निष्पादन के उद्देश्य के लिए करेगा ।

12. सरकार द्वारा बिना किसी कारण और बिना किसी पूर्व नोटिस के परामर्श कार्य किसी भी समय रद्द किया जा सकता है ।

13. उसे प्रत्येक माह परिश्रामिक सहित एक दिन की अनुपस्थिति की अनुमति होगी । यदि इसे किसी विशेष माह में नहीं लिया गया तो इसे अगले या बाद के महीनों में अग्रेनीत किया जा सकेगा, परंतु एक बार में तीन दिनों से अधिक की गैरहाजिरी की अनुमति नहीं होगी ।

के.पी सिंह

राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय) में
बतौर परामर्शदाता नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र

परामर्शदाता (ईआरएमईडी कंसोटियम) हेतु आवेदन

अपना हाल का फोटो चिपकाएं

नाम :

पिता का नाम :

जन्म तिथि :

आधार संख्या :

सेवानिवृति की तिथि :

कार्यालय जहां अंतिम काम किया हो :

अंतिम धारित पद :

अंतिम आहरित वेतन व पेंशन :

दूरभाष संख्या :

मोबाइल नं. :

ई-मेल आईडी :

पत्राचार का पता :

शैक्षिक अर्हताएं :

कार्य का अनुभव (यदि आवश्यक हो तो पृथक पृष्ठ संलग्न करें)

संस्था/संस्थान	धारित पद	अवधि		कार्य की प्रकृति	टिप्पणी
		कब से	कब तक		

स्थान:....................

तारीख़: ....

(हस्ताक्षर)

के.पी. सिंह